मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 02/03/2019

क्रमांक/766/3901/2018/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/01/2019 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:–

क्र.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1.	डॉ.जयनारायण पौराणिक सेवानिवृत्त .आ.चि.अ. इन्दौर (सेवानिवृत्त 31.01.2011)	(प्रथम कायोत्तर) 01.04.2006	01.04.2006
		(द्वितीय नवीन) 20.01.2010	20.01.2010
2.	डॉ.ओमप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त आ.चि.अ., अनूपपुर (सेवानिवृत्त 31.08.2016)	(तृतीय नवीन) 01.07.2014	01.04.2015 (विचारण वर्ष 2010 से 2014 तक के गो.प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 01.07.2014 की स्थिति में उपयुक्त नहीं पाया गया। समिति द्वारा वर्ष 2015 के गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार किये जाने पर दिनांक 01.04.2015 से तृतीय समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त पाया गया।)
3	डॉ.मोहम्मद वसीम खांन सेवानिवृत्त यूनानी चिकित्सा अधिकारी, जिला भोपाल। (सेवानिवृत्त 31.07.2016)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006	01.04.2006

	ग्वालियर (सेवानिवृत्त 30.06.2016)		(विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गो.प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 01.04. 2006 की स्थिति में उपयुक्त नहीं पाया गया। समिति द्वारा उनके आगे के वर्षो में द्वितीय समयमान वेतनमान देने पर विचार किया गया। वर्ष 2007 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का भी समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं पाये गये। इसलिये दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 01.04.13 तक की स्थिति में द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। वर्ष 2010 से 2014 तक के गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार किये जाने पर वर्ष 2011 के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन को समिति द्वारा अच्छा मानकर दिनांक 01.04. 2014 से द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त पाया गया।)

2/— कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :—

2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।

2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच चल रही हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्णय के अधीन दीर्घ/लघु शास्ति प्रभावशील रही है/प्रभावशील है तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक—एफ11 / 1/ 2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र कमांक—एफ 11/1/ 2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

2.4 वित विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 11—1/2008/नियम/चार, दिनांक 13.11.2009 के बिन्दु कमांक—4 अनुसार तदर्थ रूप से की गई सेवा समयमान वेतनमान देने हेतु गणना में नहीं ली जावेगी।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावें। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 02 / 03 / 2018

पृष्ठांकन क्रमांक / 767 / 3901 / 2019 / 1 / 59

प्रतिलिपिः—

1— विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

2— निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।

3— आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4— संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इंदौर / जबलपुर / भोपाल / ग्वालियर। समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।

5— उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।

6— संभागीय आयुष अधिकारी, इंदौर / जबलपुर / भोपाल / ग्वालियर।

7— जिला आयुष अधिकारी इंदौर, अनूपपुर, भोपाल, ग्वालियर। आदेश की एक प्रति संबंधित को अनिवार्य रूप से तामील कराने बावत।

8— संबंधित डॉ...द्वारा जिला आयुष अधिकारी जिला------

9— आदेश फाइल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग